करने के निवेदन पर साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई एवं प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिकॉर्ड दुरस्ती करने का निवेदन किया।

निवेदन प्रार्थी को सुना गया। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा मौजा बोड़वा के खाता संख्या 495 के खसरा नम्बर 253 रकबा 2.5819 हैक्टेयर, ख.न. 270 रकबा 5.2366, ख.न. 309 रकबा 5.3985 हैक्टर तथा ख.न. 667 रकबा 2.9137, में दर्ज महेन्द्रसिंह उर्फ नवीन के स्थान नवीन चौधरी पुत्र भूराराम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज ार्थी 1. के आधार कार्ड नम्बर 2892 5792 0676 में प्रार्थी का नाम नवीन चौधरी पुत्र भूराराम दर्ज । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदी एवं अप्रार्थी सं.1 राजपैरोकार ने जवाब अनुसार महेन्द्रसिंह ार्फ नवीन के स्थान पर नवीन चौधरी पुत्र भूराराम किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार यह ताईद होता है कि प्रार्थी का अन्य दस्तावेजात में नाम एवं ाजस्व रिकॉर्ड में नाम में भिन्नता है। प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जाता है रिकॉर्ड ुरस्ती से सुलभता रहेगी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत ता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में ही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत ाराओं तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं में नहीं है। अतः राजस्थान ाश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण जा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में मौजा बोड़वा के खाता ंख्या 495 के खसरा नम्बर 253 रकबा 2.5819 हैक्टेयर, ख.न. 270 रकबा 5.2366, ख.न. 309 रकबा 3985 हैक्टर तथा ख.न. 667 रकबा 2.9137 में दर्ज महेन्द्रसिंह उर्फ नवीन के स्थान पर नवीन ौधरी पुत्र भूराराम दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

--: : आदेश : : --

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के स्वीकार किया जाता है। ा बोड़वा के खाता संख्या 495 के खसरा नम्बर 253 रकबा 2.5819 हैक्टेयर, ख.न. 270 रकबा 5. ख.न. 309 रकबा 5.3985 हैक्टर तथा ख.न. 667 रकबा 2.9137, में दर्ज नाम महेन्द्रसिंह उर्फ न के स्थान पर नवीन चौधरी पुत्र भूराराम दुरूस्त/दर्ज किया जाने का आदेश दिये जाते है। हसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद

आदेश आज दिनांक 15.07.2024 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
(एस.डी.ओ.) (जायल)